उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग
संख्या– 75/VIII/11–324(श्रम)/2002
देहरादून, दिनांक 06 ~~अप्रैल~~ जून, 2011

कार्यालय–ज्ञाप

श्रम आयुक्त संगठन उत्तराखण्ड के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 में निहित सिद्धान्तों के आधार पर कार्यालय ज्ञाप संख्या–1146/VIII/10–324(श्रम)/2002, दिनांक 06 जुलाई, 2010 द्वारा सहायक श्रम आयुक्त संवर्ग की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित करते हुए सम्बन्धित कार्मिकों से आपत्तियाँ आमन्त्रित की गई थी।

उक्त परिचालित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची हेतु कुल 05 सहायक श्रम आयुक्तों की आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनका निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है :–

1– श्री एच०सी०लोहुमी, सहायक श्रम आयुक्त द्वारा आपत्ति की गई है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची क्रमांक–4 पर उनके नाम के सम्मुख–सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड पद पर योगदान की तिथि 25.07.2009 अंकित है, जब कि उक्त तिथि दिनांक 24.07.2009 होनी चाहिए तथा उनकी पदोन्नति सहायक श्रम आयुक्त के पद की जिस रिक्ति के सापेक्ष की गई है, उस पद की रिक्ति की तिथि (चयन वर्ष) से ज्येष्ठता अनुमन्य होनी चाहिए।

उपरोक्त आपत्ति के सम्यक् परीक्षणोपरान्त उनके नाम के सम्मुख–सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड पद पर योगदान की तिथि 25.07.2009 के स्थान पर दिनांक 24.07.2009 अंकित कर दी गई है। जहां तक रिक्ति की तिथि से सहायक श्रम आयुक्त के पद पर ज्येष्ठता देने का प्रश्न है इस संबंध में चूंकि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–8(1) उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती के माध्यम से की जाय में स्प्ष्ट है कि **"जहाँ सेवानियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ, पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जानी हों, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश दिनांक से निम्नलिखित् उपनियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जायें तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गयें हैं। प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती** दिनांक विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाये तो वह दिनांक **मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा।"** अतः उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के दृष्टिगत आपत्ति ग्राह्य नहीं है।

2– श्री पी०सी०तिवारी, सहायक श्रम आयुक्त द्वारा आपत्ति की गई है कि सहायक श्रम आयुक्त पद पर पदोन्नति के लिए श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा डीपीसी हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड, हरिद्वार को प्रेषित पात्रता/ज्येष्ठता सूची जो अन्तिम तथा निर्विवाद थी और जिसके आधार पर शासन ने सहायक श्रम आयुक्त के पदों पर पदोन्नति भी मई, 2002 में कर दी थी, में उनका नाम ज्येष्ठता क्रम में पाँचवें स्थान पर अंकित था तथा शासन द्वारा पदोन्नति हेतु उपलब्ध 4 पदों पर पदोन्नति भी कर दी थी। इसके अतिरिक्त उनका नाम तत्पश्चात् होने वाली सहायक श्रम आयुक्तों के पदों पर पदोन्नति हेतु प्रथम स्थान पर अंकित था। उक्त ज्येष्ठता/पात्रता सूची शासन द्वारा तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम–7 (स्पष्टीकरण) के अनुसार अन्तिम रूप से बनी है तथा जो निर्विवाद थी। श्री तिवारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि शासन द्वारा आदेश संख्या–1313/VIII–56 दिनांक 23.07.2009 के माध्यम से जारी

क्रमशः पृष्ठ-2पर

किए गए पदोन्नति आदेश जिसमें उनकी पदोन्नति सहायक श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, उधमसिंह नगर के पद पर की गई है, पर पदोन्नति हेतु हुई निर्धारित चयन समिति की बैठक दिनांक 12.12.2008 में चयन समिति ने पदोन्नति की संस्तुति पदों के रिक्त होने की तिथि से करने की है, जिसके अनुसार पहला पद चयन वर्ष 2003–04 के विरुद्ध है, जो श्री बी०एस०नयाल, सहायक श्रम आयुक्त के सेवानिवृत्ति के उपरान्त उपलब्ध था, जो सामान्य श्रेणी का था, उसी प्रकार एक पद वर्ष 2004–05 में सामान्य श्रेणी के दो और पद सहायक श्रम आयुक्त का उपलब्ध था। दिनांक 12.12.2008 को हुई चयन समिति की बैठक में समिति ने रिक्त हुए पद की तिथि से नियुक्ति की संस्तुति की है। जिसके अनुसार उनकी नियुक्ति श्री बी०एस०नयाल, सहायक श्रम आयुक्त के सेवानिवृत्ति के उपरान्त रिक्त हुये पद से हुई है। तथा उपरोक्तानुसार पूर्व में जारी पात्रता/ज्येष्ठता सूची के अनुसार वे उत्तराखण्ड राज्य में वरिष्ठतम सहायक श्रम आयुक्त हैं व ज्येष्ठता सूची में उनका क्रम प्रथम स्थान पर किए जाने हेतु शासन से अनुरोध किया है।

चूंकि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के नियम–8(1) उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती के माध्यम से की जाय में स्पष्ट है कि "**जहाँ सेवानियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ, पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जानी हों, वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश दिनांक से निम्नलिखित उपनियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जायें तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में** रखे गयें हैं। प्रतिबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति के आदेश में कोई ऐसा विशिष्टि पूर्ववर्ती दिनांक **विनिर्दिष्ट हो, जिससे कोई व्यक्ति मौलिक रूप से नियुक्त किया जाये तो वह दिनांक मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा और अन्य मामलों में इसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा**"। अतः उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के दृष्टिगत श्री पी०सी०तिवारी, सहायक श्रम आयुक्त द्वारा की गई आपत्ति आपत्ति ग्राह्य नहीं है।

3– श्री विपिन कुमार, सहायक श्रम आयुक्त द्वारा आपत्ति की गई है कि उत्तरांचल लोक सेवा आयोग की विज्ञप्ति संख्या–122/14/अतिगोपन/2003, दिनांक 03.06.2005 द्वारा प्रकाशित परीक्षा परिणाम द्वारा कोई भी ज्येष्ठता सूची निर्धारित नहीं की गई है और न ही इस तथ्य का कोई उल्लेख है। जितने विभागों द्वारा रिक्तियाँ भेजी गई थी, उनके सापेक्ष अलग–अलग विभागों के अलग–अलग परीक्षा परिणाम में न तो ज्येष्ठता सूची/वरिष्ठता सूची का उल्लेख है और न ही परिणाम आरक्षण (रोस्टर) आधारित है। परिणाम में सर्वप्रथम सामान्य श्रेणी, तदोपरान्त आरक्षित श्रेणियों, उत्तरांचल महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनु०जाति, अनु०जनजाति के चयनित अभ्यर्थियों का उल्लेख है। श्री विपिन कुमार द्वारा यह भी आपत्ति की गई है कि ज्येष्ठता सूची/पदोन्नति में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु चक्रानुक्रम सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1455/कार्मिक–2/2001, दिनांक 31.08.2001 की व्यवस्थानुसार ज्येष्ठता सूची लागू की जानी चाहिए। अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उक्त शासनादेश का पालन नहीं हुआ है।

उपरोक्त आपत्ति के सम्बन्ध में उल्लिखित किया जाना है कि शासन द्वारा उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष रोस्टर सहित अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जाता है, जिसमें श्रेष्ठता के आधार पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयन करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की सूची शासन को प्रेषित की जाती है। श्रेष्ठता के आधार पर ही ज्येष्ठता का निर्धारण किया जाता है। कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–1455/कार्मिक–2/2001, दिनांक 31.08.2001 की व्यवस्थानुसार सम्बन्धित रोस्टर पदोन्नति हेतु लागू किया जाता है। अतः आपत्ति ग्राह्य नहीं है।

4– श्री नरेश चन्द्र कुलाश्री, सहायक श्रम आयुक्त द्वारा आपत्ति की गई है कि निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं किया गया है।

उपरोक्त आपत्ति के क्रम में उल्लिखित किया जाना है कि श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा तत्समय प्रेषित किए गए प्रस्ताव में श्री नरेश चन्द्र कुलाश्री का नाम सम्मिलित नहीं था, जिस

क्रमशः पृष्ठ-3पर

कारण अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं किया गया। श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 24.07.2010 के माध्यम से निर्गत की जाने वाली अन्तिम ज्येष्ठता सूची हेतु श्री नरेश चन्द्र कुलाश्री, सहायक श्रम आयुक्त के नाम का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 24.07.2010 के क्रम में श्री नरेश चन्द्र कुलाश्री की ज्येष्ठता यथास्थान अंकित कर दी गई है।

5— श्री अशोक वाजपेयी, सहायक श्रम आयुक्त द्वारा आपत्ति की गई है कि निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं किया गया है।

उपरोक्त आपत्ति के क्रम में उल्लिखित किया जाना है कि श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा तत्समय प्रेषित किए गए प्रस्ताव में श्री अशोक कुमार वाजपेयी का नाम सम्मिलित नहीं था, जिस कारण अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं किया गया। श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 24.07.2010 के माध्यम से निर्गत की जाने वाली अन्तिम ज्येष्ठता सूची हेतु श्री अशोक कुमार वाजपेयी, सहायक श्रम आयुक्त के नाम का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 24.07.2010 के क्रम में श्री अशोक बाजपेयी की ज्येष्ठता यथास्थान अंकित कर दी गई है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रत्यावेदनों/आपत्तियों के निस्तारणोपरान्त उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 के प्राविधानों के अनुसार श्रम आयुक्त संगठन उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सहायक श्रम आयुक्त संवर्ग की पारस्परिक ज्येष्ठता को अन्तिम करते हुए संलग्न सूची निर्गत की जाती है।

संलग्नक—यथोक्त।

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या— 75 (1)/VIII/11—324(श्रम)/2002, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव—श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव—मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव—मा0 श्रम मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव—मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव—प्रमुख सचिव—मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
7. अपर श्रम आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. उप श्रम आयुक्त मुख्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल) एवं गढ़वाल/कुमाऊँ क्षेत्र।
9. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. सम्बन्धित कार्मिक।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

sl so